सन्तोष खन्ना

विधि भारती परिषद : एक नज़र

विधि भारती परिषद् का वर्ष 1997 इस अर्थ में भी सार्थक रहा कि 'महिला विधि भारती' पत्रिका प्रकाशन का देश में नोटिस लिया जाने लगा और प्रथम बार 'विधि भारती परिषद्' को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित एवं मध्य प्रदेश के शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना में आयोजित एक राष्ट्रीय शोध सेमिनार में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह सेमिनार भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियाँ विषय पर था। 12-13 अक्तूबर, 1997 के इस शोध सेमिनार में मैंने बतौर पत्रिका के संपादक के रूप में भाग दिया।

इस सेमिनार के एक सत्र की अध्यक्षता की तो 'भारत में संसदीय संस्कृति' विषय पर एक आलेख भी प्रस्तुत किया, जिसे बहुत पसंद किया गया। इस सेमिनार में देश के अनेक राज्यों के महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा समाज के कई विद्वानों ने भाग लिया था तथा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी इसमें आए थे। इस सेमिनार के अवसर पर शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरोज मोदी ने 'विधि भारती परिषद्' की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए भविष्य में सहयोग की भी आकाँक्षा व्यक्त की। एक अच्छी बात यह भी हुई कि इस सेमिनार में शांति, विकास एवं सांस्कृतिक एकता परिषद्, मुरैना के संस्थापक डॉ. एम.पी. मोदी भी थे जिन्होंने बताया कि उनकी संस्था ने जिवाजी विश्वविद्यालय के सहयोग से उसी वर्ष मार्च में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास एवं स्थानीय स्वशासन विषय पर एक शोध सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें देश के अनेक राज्यों के विद्वान प्राध्यापकों ने भाग लिया था। उनका सुझाव था कि उस सेमिनार में प्रस्तुत शोध आलेखों का 'महिला विधि भारती' पत्रिका में प्रकाशन किया जाए। उन्होंने वे सभी आलेख हमें उपलब्ध करा दिए और उनमें से कुछ चुनिंदा आलेख 'महिला विधि भारती' पत्रिका के अंक 12 में प्रकाशित किए गए और उस अंक को एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया और यह विशेषांक था 'महिला सशक्तिकरण विशेषांक'।

'महिला विधि भारती' पत्रिका के विशेषांक

'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका के अब तक कई विशेषांक प्रकाशित किए जा चुके हैं। विशेषांकों की शृंखला में सबसे पहले जो विशेषांक प्रकाशित किया गया, वह था 'महिला सशक्तिकरण विशेषांक', अंक-12 (जुलाई-सितंबर, 1997)। इस विशेषांक की सार्थकता इस बात में थी कि यह भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का वर्ष (1997) था। इस उपलक्ष्य में संसद का दूसरा ऐतिहासिक अधिवेशन बुलाया गया था जो चार दिन तक चला और संपन्न हुआ 1 सितंबर, 1997 को।

इस सत्र की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि संसद के लगभग सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए अत्यंत आतुर थे और सभी ने निर्धारित समय से अधिक समय तक बोला। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने ही लगभग पचास मिनट तक भाषण दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद जन-प्रतिनिधियों में एक अनोखी छटपटाहट देखी गई जो एक शुभ संकेत थी कि हर कोई इन पचास वर्षों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अथवा चुनौतियों का विश्लेषण करना चाहता था। विचार मंथन से अमृत की आशा की जा सकती है।

वास्तव में, ''इस सत्र का उद्देश्य था कि हम इस पचास वर्षों की अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए आत्म मंथन करें कि क्या आज हम असंख्य स्वतंत्रता सेनानी शहीदों एवं अन्य लोगों के बलिदानों के बल पर प्राप्त स्वतंत्रता की सार्थक रूप से रक्षा कर पाए हैं?'' इसी संदर्भ में देश में महिलाओं की दशा और दिशा के संदर्भ में हमने भी इस अंक के माध्यम से मूल्यांकन करने का प्रयास किया। जैसा कि पहले बताया गया कि मध्य प्रदेश, मुरैना की संस्था शांति, विकास एवं सांस्कृतिक एकता परिषद् के जिवाजी विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास एवं स्थानीय स्वशासन पर एक शोध सेमिनार के चयनित शोध आलेख इस विशेषांक में प्रकाशित किए गए थे तथा साथ ही डॉ. गिरजा व्यास, प्रो. रीटा वर्मा, वीणा वर्मा जैसी कुछ महिला सांसदों से विशेष रूप से लिए गए इस विषय पर साक्षात्कार प्रकाशित किए गए। इस सबसे यह एक संग्रहणीय विशेषांक बन गया।

'महिला विधि भारती' पत्रिका के अब तक प्रकाशित विशेषांकों की सूची निम्न प्रकार है --

1. महिला सशक्तिकरण विशेषांक, अंक : 12 (जुलाई-सितंबर, 1997)
2. संविधान विशेषांक, अंक : 16-17 (जुलाई-दिसंबर, 1998)
3. मानव अधिकार विशेषांक, अंक : 25-26 (अक्तूबर-दिसंबर, 2000 एवं जनवरी-मार्च, 2001)
4. विधि भारती सम्मान उत्सव, अंक-28 (अप्रैल-जून, 2001)
5. उपभोक्ता अधिकार विशेषांक, अंक : 29 एवं 30 (अक्तूबर-दिसंबर 2001 एवं

जनवरी-मार्च, 2002)

5. पर्यावरण विशेषांक, अंक 34-35 (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, 2013)
6. विधि भारती सम्मान उत्सव, अंक : 41 (अक्तूबर-दिसंबर, 2004)
7. साइबर विधि विशेषांक, अंक : 45 (अक्तूबर-दिसंबर, 2005)
8. स्वर्ण जयंती नारी विशेषांक, अंक : 50-51 (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, 2007)
9. सम्मान/पुरस्कार उत्सव विशेषांक, अंक : 54 (जनवरी-मार्च, 2008)
10. सूचना का अधिकार विशेषांक, अंक : 58 (जनवरी-मार्च, 2009)
11. संदर्भ विशेषांक, अंक : 60 (जुलाई-सितंबर, 2010)
12. संसद विशेषांक, अंक : 66 (जनवरी-मार्च, 2011)
13. शिक्षा का अधिकार विशेषांक, अंक : 70 (जनवरी-मार्च, 2012)
14. हीरक जयंती विशेषांक, अंक : 75 (अप्रैल-जून, 2013)

विधि भारती सम्मान एवं पुरस्कार

समाचार पत्रों/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे सामाचारों को सुनने-देखने को मिलता रहता है कि साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमुक-अमुक को सम्मानित/पुरस्कृत किया गया। साहित्यिक सम्मान/पुरस्कार संबंधी आयोजनों में प्रायः जाने का अवसर मिलता रहता, यहाँ तक कि 'भारतीय अनुवाद परिषद्' के पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया की मैं आरंभ से ही अभिन्न रूप से जुड़ी रही हूँ। अतः ऐसी सोच भी स्वाभाविक ही थी कि विधि और न्याय के क्षेत्र में इस प्रकार के सम्मान/पुरस्कार लगभग नहीं के बराबर थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि इस क्षेत्र में किसी का कोई सर्वोत्कृष्ट योगदान न हो। इस संदर्भ में यह सोच आकार लेने लगी थी कि विधि और न्याय के क्षेत्र में 'विधि भारती परिषद्' के मंच से इस प्रकार की पहल की जाए। मैं इस बात की साक्षी थी कि 'भारतीय अनुवाद परिषद्' की संस्थापक डॉ. गार्गी गुप्त ने 'भारतीय अनुवाद परिषद्' की ओर से अनुवाद के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए साहित्यकारों/अनुवादकों के लिए भारत में सर्वप्रथम पुरस्कारों की नींव डाली थी। सर्वप्रथम 'नाताली पुरस्कार' 1986 में आरंभ किया गया था। डॉ. गार्गी गुप्त ने आरंभ से ही अर्थात् 1964 (भारतीय अनुवाद परिषद् के स्थापना वर्ष) से मुझे उस परिषद् में जोड़ लिया था और इन तमाम वर्षों में मुझे उनके साथ निरंतर कार्य करने का सुअवसर मिला था। हो सकता है इन सब का मेरे मानस पर प्रभाव के कारण ही 'विधि भारती परिषद्' से सम्मान/पुरस्कार प्रारंभ करने की सोच मेरे ज़ेहन में आई हो। विचार तो कई प्रकार के कार्य करने के लिए आते-जाते रहते हैं। किसी भी विचार की सार्थकता उसे साकार करने में होती है। जो सोचा, उसे करके दिखा दिया, यह प्रक्रिया स्वयं में कई चुनौतियाँ लेकर आती है। संक्षेप में वर्ष 2000 में अर्थात् 21वीं शती के शुभारंभ में 'विधि भारती सम्मान' की स्थापना हो गई। इस सम्मान स्थापना में अंतर्निहित संकल्पना यह थी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से विधि और न्याय के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट मानव

मूल्यों की स्थापना हो। अतः 'विधि भारती सम्मान' प्रदान करने के लिए इस नियम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया कि यह सम्मान भारत की उन प्रतिष्ठित विभूतियों को प्रदान किया जाए जिन्होंने जीवन में सर्वोत्कृष्ट मानव मूल्यों की स्थापना की हो और साथ ही विधि और न्याय के क्षेत्र में अद्वितीय रचनात्मक योगदान दे कर देशवासियों के समक्ष अपने आचरण से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया हो और साथ ही राष्ट्रीय छवि के ऐसे महानुभाव विवाद के घेरे में नहीं हो तथा वे स्वयं में संस्था हों और उनमें से अनिवार्यतः एक विभूति महिला हो।

इस विशिष्ट कसौटी को ध्यान में रख कर ऐसी राष्ट्रीय विभूतियों का चयन स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अतः इसके लिए स्वाभाविक ही था कि ऐसी चयन समिति या मंडल का गठन किया जाए जिसमें ऐसे महानुभाव हों जो स्वयं राष्ट्रीय छवि के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हों और जो निष्पक्ष हो कर 'विधि भारती सम्मान' के लिए व्यक्तियों का चयन करें। 'विधि भारती परिषद्' का यह परम सौभाग्य ही था कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तत्कालीन विदूषी माननीय सदस्या न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर ने कृपापूर्वक चयन समिति की अध्यक्ष होने के महत् दायित्व को स्वीकार किया।

इस संदर्भ में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई ते मैंने उन्हें अपना मंतव्य बताया। उस समय तक सम्मान को क्या नाम दिया जाए, इस बारे में सोच इतनी स्पष्ट नहीं हो पाई थी। मैंने उन्हें कई नाम सुझाए और उन्होंने 'विधि भारती सम्मान' नाम को पसंद किया और उस पर अपनी मुहर लगा दी। बस फिर क्या था, हमने 'विधि भारती सम्मान' समिति की न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर के अध्यक्ष होने का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एल. जैन तथा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद जी से इस सम्मान समिति का सदस्य होने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने भी इस महत् दायित्व को सहर्ष स्वीकार किया।

न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर की अध्यक्षता में 'विधि भारती सम्मान' समिति की एक बैठक माननीया सुजाता जी के कक्ष में आयोजित की गई। 'विधि भारती परिषद्' की ओर से परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना, श्रीमती मंजू चौधरी (कोषाध्यक्ष), श्री वी.पी. कालरा तथा डॉ. के.एस. भट्टी (सदस्य) ने भी इस बैठक में भागीदारी की। न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर जी की अध्यक्षता में 16 मार्च, 2001 को संपन्न बैठक में 'विधि भारती सम्मान' के लिए नामों का चयन किया गया। कुछ नाम हमने सुझाए और कुछ न्यायमूर्ति सुजाता जी ने। इन नामों में सर्व-सम्मति से निम्नलिखित तीन नामों का चयन किया गया --

(1) उच्चतम न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय लब्ध प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हंसराज खन्ना।

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय की विधि संकाय की प्रसिद्ध पूर्व प्रोफेसर लोतिका सरकार।
(3) माननीय श्री के. परासारन।

विधि भारती सम्मान के लिए तीन महानुभावों के नाम तय हो जाने के बाद अगला क़दम था उनकी सहमति लेने का। सर्वप्रथम, जब हम माननीय न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना की सहमति के लिए उनके घर पहुँचे तो उन्होंने सहर्ष ही अपनी सहमति दे दी। उनके ड्राईंग रूम में उनको मिले पद्म विभूषण की प्रशस्ति सुशोभित हो रही थी, एक क्षण को हम सब सकते में थे कि जिस व्यक्ति को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका हो, क्या वह 'विधि भारती परिषद् से सम्मान स्वीकार करेंगे? पद्म विभूषण की उस प्रशस्ति के पास बैठे न्यायमूर्ति श्री खन्ना से पहली बार हमारी भेंट हुई थी। उनका सहज, सरल एवं गरिमायुक्त व्यवहार हम सब को प्रभावित कर गया था।

उन्होंने बड़े गरिमापूर्ण ढंग से हमारा स्वागत किया और 'विधि भारती सम्मान' के लिए स्वीकृति दी। तत्पश्चात् हम लोग माननीय श्री के. परासारन से मिलने गए। जब उनसे मुलाकात हुई और हमने उनके समक्ष अपने आने का मंतव्य रखा तो उन्होंने अपनी मेज की दराज से एक पत्र की प्रतिलिपि हमें देते हुए कहा कि ''कल ही मैंने किसी और संस्था से सम्मान न लेने की क्षमा-याचना करते हुए यह पत्र लिखा है। यदि मैंने उस संस्था को यह पत्र न लिखा होता तो आज मैं इस सम्मान के लिए अवश्य सहमति दे देता और आप लोगों के विशेष स्नेह और सादर अनुरोध को कभी न टालता। किंतु यह कदापि उचित नहीं होगा कि मैं एक दिन पहले एक को मना कर दूँ और आज आपको 'हाँ' कर दूँ। कृपया आप मेरा धर्म-संकट समझें।'' श्री के. परासारन की सज्जनता, सरलता ओर उनके पक्ष के सामने हम नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। प्रो. लोतिका सरकार की सहमति मिल गई थी और विचार-विमर्श कर यही फैसला हुआ कि इस बार 'विधि भारती सम्मान' इन दोनों विभूतियों अर्थात् न्यायमूर्ति श्री खन्ना को तथा प्रो. लोतिका सरकार को ही दिया जाए।

विधि भारती सम्मान उत्सव

विधि भारती परिषद् ने 11 अप्रैल, 2001 को स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशनल क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें उच्चतम न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय ख़्याति-लब्ध एवं प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री हंसराज खन्ना और दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी की पूर्व प्रो (डॉ.) लोतिका सरकार को जीवन में सर्वोत्कृष्ट मानव-मूल्यों की स्थापना करने एवं विधि के क्षेत्र में अद्वितीय रचनात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता भारत के इंग्लैंड में पूर्व हाई कमिश्नर, वर्तमान में राज्य सभा के सदस्य, प्रसिद्ध विधि-वेत्ता, कवि एवं साहित्यकार डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी ने की। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं तत्कालीन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री जगदीश शरण वर्मा।

'विधि भारती सम्मान अर्पण-समारोह का शुभारंभ लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में रीडर के पद पर कार्यरत डॉ. सविता शर्मा के मधुर स्वर में सरस्वती वंदन से हुआ। इसके पश्चात् मंच पर उपस्थित अतिथि विद्वत्जन माननीय श्री जे.एस. वर्मा जी, डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी, माननीय न्यायमूर्ति श्री हंसराज खन्ना, डॉ. लोतिका सरकार, श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद एवं न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जैन ने ज्ञानदीप प्रज्ज्वलत कर समारोह का विधिवत् शुभारंभ किया। तत्पश्चात्, सभी आमंत्रित अतिथि गणों का स्वागत किया गया। नीलकंठ सर्जीकल एंड मेडीकल सेंटर की प्रभारी डॉ. आशु खन्ना ने न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना को सादर बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रो. लोतिका सरकार का स्वागत किया प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं 'विधि भारती परिषद्' की कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती देवलीना केजरीवाल ने। सम्मान समारोह में सादर आमंत्रित मुख्य अतिथि का लोक सभा की वरिष्ठ संपादक एवं 'विधि भारती परिषद्' की कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव ने स्वागत किया। सम्मान समारोह के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी का दिल्ली की अधिवक्ता सुश्री डिम्पल ने सादर बुके दे कर स्वागत किया। मंचासीन माननीय श्री लोकेश्वर प्रसाद का स्वागत किया श्रीमती पूनम कालरा ने जो शालीमार बाग, दिल्ली स्थित जसपाल कौर स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर का श्रीमती ऋतु टंडन ने और मंचसीन मानवीय न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जैन का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विधि अधिकारी डॉ. प्रेम लता ने सादर बुके भेंट कर स्वागत किया। परम हर्ष का विषय था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की ओर से आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती राजलक्ष्मी राव पधारी थीं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की विदूषी निदेशक डॉ. पुष्पलता तनेजा ने उनका स्वागत उनको बुके भेंट कर किया।

पूर्व दिल्ली जिला जज, उपभोक्ता फोरम के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्ममान में दिल्ली उपभोक्ता आयोग के माननीय सदस्य एवं 'विधि भारती परिषद्' के परामश-मंडल के माननीय सदस्य श्री एस.पी. सब्बरवाल जी ने सभी आमंत्रित अतिथियों का विधिवत् रूप से स्वागत के लिए भाषण दिया।

परिषद् की महासचिव एवं 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका की संस्थापक संपादक श्रीमती सन्तोष खन्ना ने समारोह की कार्यवाही का संचालन करते हुए परिषद् की गतिविधियों एवं 'विधि भारती सम्मान' के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर सम्मान चयन समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति माननीय सुजाता वी. मनोहर ने चयन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमने पहले यह निर्धारित किया कि यह सम्मान एक प्राध्यापक को भी अवश्य दिया जाना चाहिए और वह भी कानून के प्राध्यापक को क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने प्राध्यापकों को भूल रहे हैं। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के नाम का चयन इसलिए किया गया कि उन्होंने अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले से एक नया इतिहास रच डाला था। वह एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे युग-पुरुष हैं जो शब्दों के माध्यम से वर्णनातीत हैं। प्रोफेसर लोतिका सरकार ने न केवल विधि प्रोफेसर के रूप में ख़्याति प्राप्त की अपितु महिलाओं

के उत्थान के लिए उनका योगदान सर्वविदित है। डॉ. सरकार के छात्रों ने उन पर एक लंबी कविता की रचना की है, किंतु उसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी जो उनके विराट व्यक्तित्व का परिचायक है।

न्यायमूर्ति श्री जगदीश शरण वर्मा ने न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के विपरीत परिस्थितियों में लिए गए फैसलों का उल्लेख करते हुए उनके साहस, सूझ-बूझ और उनके त्याग की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए सम्मान चयन समिति की अध्यक्षा और अन्य सदस्यों को ऐसी विभूति की 'विधि भारती सम्मान' के लिए चयन पर बधाई दी। उन्होंने प्रो. लोतिका सरकार के समाज को अपूर्व योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि उनके छात्र बड़े-बड़े पदों पर यहाँ तक कि न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे मानपीय डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी ने 'विधि भारती सम्मान' से सम्मानित होने वाली विभूतियों को ''जीती-जागती उत्सव मूर्तियों की संज्ञा देते हुए इस बात पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की कि इन उत्सव मूर्तियों का सम्मान के लिए चयन कर 'विधि भारती परिषद्' स्वयं गौरवान्वित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इन उत्सव मूर्तियों का सम्मान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने न्याय की, शिक्षा की और संस्कार की रक्षा की है। डॉ. सिंघवी ने न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना पर अपनी एक बेहद खूबसूरत कविता भी पढ़ी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर एवं 'विधि भारती परिषद्' की कायकारिणी के सदस्य डॉ. पूरनचंद टंडन ने 'विधि भारती सम्मान' प्राप्त करने वाली दोनों विभूतियों, माननीय न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना एवं डॉ. लोतिका सरकार का सम्मान अर्पण से पहले प्रशस्ति वाचन किया।

समारोह में सर्वप्रथम डॉ. लोतिका सरकार को जब न्यायमूर्ति श्री जगदीश शरण वर्मा ने शॉल ओढ़ा कर तथा प्रतीक चिह्न प्रदान कर सम्मान अर्पण किया तो वह एक अभूतपूर्व दृश्य था। वास्तव में यह सम्मान एक साधारण व्यक्ति का नहीं, अपितु ऐसे व्यक्ति का था जो स्वयं में एक संस्था बन गया था। डॉ. लोतिका सरकार ने अपने भाषण में कहा कि 'विधि भारती सम्मान' केवल उनका ही नहीं, उनके छात्रों का भी सम्मान है क्योंकि जो कुछ भी आज है अपने छात्रों के कारण है। उनके छात्र हमेशा उनसे भाँति-भाँति के प्रश्न पूछा करते थे और कई बार वह उनका संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे पाती थी। उन्होंने बताया कि उनके छात्र उससे पूछा करते थे कि स्वतंत्र भारत में भी हम इंग्लैंड के कानूनों का अनुपालन कर रहे हैं क्या वहाँ की दंड संहिता के साथ 'भारतीय' शब्द लग जाने से ही वह भारतीय दंड संहिता बन जाती है? डॉ. लोतिका सरकार ने यह भी बताया कि साहसी होने का पाठ उन्होंने न्यायमूर्ति श्री खन्ना जी से सीखा है क्योंकि जब मथुरा केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ''मथुरा 16 वर्ष से भी कम एक आदिवासी लड़की जो पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों के बलात्कार का शिकार हुई थी की सहमति थी क्योंकि उसके शरीर पर विरोध करने के निशान नहीं थे और पुलिस कर्मियों को बरी कर दिया गया था, इस फैसले

के विरोध में डॉ. लोतिका सरकार ने अपने अन्य प्राध्यापक सहयोगियों के साथ मिल कर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर देश की महिला संस्थाओं को पत्र लिखा था और इन महिला संस्थाओं के देशभर में विरोध के कारण विधि आयोग ने बलात्कार संबंधी कानून में परिवर्तन किया था। उस समय सभी कह रहे थे कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध नहीं किया जा सकता है किंतु एक बार जब यह समझ लिया कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो फिर परिणाम की परवाह किए बिना आगे बढ़ना ही श्रेयस्कर होता है। डॉ. लोतिका सरकार ने अपने छात्रों, जहाँ भी हों, का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाओं संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का अब भी अनुपालन नहीं हो रहा है उन्हें आगे बढ़ कर इस दिशा में अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए।

माननीय श्री जगदीश शरण वर्मा जी ने न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना को शॉल ओढ़ा कर प्रतीक चिह्न प्रदान कर उनका सम्मान किया तो हाल में उपस्थित विद्वत्जनों ने दीर्घकाल तक करतल ध्वनि करते हुए उनका अभिनंदन किया। उससे पहले परिषद् की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने कहा कि इन दोनों महान विभूतियों को सम्मानित करते हुए हमें परम हर्ष हो रहा है। यह भी हर्ष का विषय है कि न्यायमूर्ति खन्ना जी को पदम विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। हालाँकि इस सूचना की जानकारी हमें माननीय खन्ना जी के घर पहुँच कर ही मिली। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमें नहीं बताया, यह तो उनके यहाँ दीवार पर उनकी पद्म विभूषण प्रशस्ति सुशोभित हो रही थी जिससे हमें पता चला तो हमें और भी बहुत अच्छा लगा कि 'विधि भारती सम्मान' ऐसी विभूति को अर्पित किया जाएगा जिन्हें सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। वैसे हमारी श्रद्धा तो ऐसी है -- 'विधि भारती सम्मान' तो एक छोटा-सा सम्मान है किंतु हमारी श्रद्धा तो ऐसी है कि हमारे बस में हो तो हम उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित कर दें।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधि भारती परिषद् की अध्यक्ष डॉ. सरोजनी महिषी ने इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए -- ''मंचासीन बड़े-बड़े विद्वत् रत्न और न्यायमूर्तियों ने आज हमें शब्दों के माध्यम से ज्ञानात्मृत का भोजन कराया। ज्ञान का आस्वाद शेष सभी आस्वादों से परम पवित्र और बहुत मूल्यवान होता है। श्रीमती सन्तोष खन्ना जब संसद में थीं तो वह कहा करती थीं कि वह महिलाओं के लिए एक त्रैमासिक पत्रिका प्रारंभ करना चाहती हैं। किसी की इच्छा हो, उसे अभिव्यक्त करना अलग बात है और उसे कृति रूप में लाना, उस इच्छा को साकार करना अलग बात हे। इसलिए आज हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने उस पत्रिका की नींव रखी और आज आपके सामने उसके 25-26वें अंक के लोकार्पण का अवसर आया। यह भी खुशी की बात है कि उन्होंने इस प्रकार का सम्मान आयोजन कर आप सब लोगों को एकत्रित किया। पत्रिका के बारे में लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा इस सम्मान समारोह के आयोजन के बारे में बताया। आज यहाँ बड़े-बड़े तपस्वी लोग बैठे हैं जो व्यक्ति के रूप में नहीं यहाँ बड़ी-बड़ी संस्थाओं के रूप में बैठे हैं यह तपस्वी लोग हैं जिनका धन तपोधन है, जिनका धन ज्ञान-धन है, जिनका धन अनुभव-धन है। ऐसे

लोगों को सुनने का हमें अवसर मिला, हम उनके अत्यंत ऋणी हैं।

माननीय न्यायमूर्ति श्री खन्ना जी ने सम्मान अभिषेक के पश्चात् अपने आशीर्वचन में अन्य बातों के साथ-साथ देश के प्रति अपने सरोकार को मुखर करते हुए यह भी कहा कि यह बड़ा खेद का विषय है कि विश्व में भारत की सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में गणना की जा रही है और वैसे भी भारत सबसे अधिक गरीब दस देशों में से एक है। जब तक हम देश की इस छवि को नहीं सुधारेंगे सब व्यर्थ है। संसद को आजकल शोर आदि के कारण चलने नहीं दिया जाता जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें जागृति के प्रकाश से गुजरना होगा और हमें लोकतंत्र मूल्यों का अनुपालन करना होगा। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने अपने ओजस्वी अध्यक्षीय भाषण में कहा था और प्रेरक शब्द आज भी उन्हें याद हैं --

"Who lives if India dies and who dies if India lives."

इसलिए हमें उन महान व्यक्तियों के पदचिह्नों पर चल कर देश को आगे ले जाना होगा जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई और देश को महान बनाया।

समारोह के अंत में लोक सभा सचिवालय की वरिष्ठ संपादक एवं विधि भारती परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव ने सबका विधिवत् रूप से धन्यवाद किया। कार्यवाही का संचालन श्रीमती सन्तोष खन्ना ने किया। समारोह संपन्न होने पर उसमें सम्मिलित हुए गणमान्य विद्वत्जनों की एक स्वर से यही टिप्पणी थी कि "कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है।" कुछ शुभचिंतकों के उद्गार थे, "हमने इससे अच्छा कार्यक्रम कभी नहीं देखा।" स्वाभाविक था हम भी गद्गद् हुए बिना नहीं रह सके। हमें आरंभ से अंत तक बराबर यह अहसास होता रहा कि इस कार्य में कोई तीसरी अदृश्य शक्ति भी सक्रिय थी जिसे परिभाषित करना सुगम नहीं था। इस प्रकार प्रथम 'विधि भारती सम्मान' की बेजोड़ एवं शानदार शुरुआत हुई। इस शानदार और जानदार शुरुआत के लिए हम सभी के प्रति आभारी थे जिनके निष्काम एवं सहज सहयोग के बिना यह संभव न हो पाता।

इस संबंध में और एक उल्लेखनीय बात यह है कि इस कार्यक्रम को लेकर 'महिला विधि भारती' का सचित्र अंक 'सम्मान उत्सव अंक' प्रकाशित किया गया जो एक संग्रहणीय अंक बन पड़ा था।

'महिला विधि भारती' पत्रिका डी.ए.वी.पी. के पैनल पर

विधि भारती परिषद् की ओर से भारत सरकार के विज्ञापन एवं श्रव्य-दृश्य निदेशालय को 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका को विज्ञपनों के लिए पैनल पर लेने का अनुरोध किया गया और हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए निदेशालय ने इसे अपने पैनल पर ले लिया। डी.ए.वी.पी. का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ 'पत्रिका' के आठवें अंक (जुलाई-सितंबर, 1996) में और तत्पश्चात् हर वर्ष पत्रिका के लिए हर वर्ष एक या दो और कई बार तीन विज्ञापन मिलने लगे। उन दिनों विज्ञापनों की दरें कम होती थीं परंतु

संसाधन न के बराबर हों तो बूँदों का भी बड़ा महत्त्व होता है। दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी भी विज्ञापन दे कर हमारा हौसला बढ़ा ही रही थी। भारत सरकार के विज्ञापनों का क्रम तीन-चार वर्ष अनवरत चलता रहा, किंतु वर्ष 2000 आते-आते इस क्रम पर पूर्ण विराम लग गया। जब डी.ए.वी.पी. से पता किया तो वहाँ हमें एक छोटी-सी पुस्तिका दी गई जिसके आधार पर बताया गया कि भारत सरकार ने अपनी विज्ञापन नीति में परिवर्तन कर अब केवल मासिक पत्रिकाओं तक को विज्ञापन देने का फैसला किया है। त्रैमासिक पत्रिकाओं को अब विज्ञापन नहीं दिए जाएँगे। हमने अधिकारियों से मौखिक रूप से बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार का यह फैसला गलत था परंतु वह इसमें कुछ करने में असमर्थ हैं। उनका कहना था कि सरकार अब विज्ञापन देने में पेशेवर स्तर पर काम करना चाहती है और त्रैमासिक पत्रिकाओं को समय आधारित विज्ञापन नहीं दिए जा सकते। हमने उनका ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयास किया कि पहले भी जो विज्ञापन त्रैमासिक पत्रिकाओं को दिए जा रहे थे, उनमें अधिकांश तो सद्भावना संदेश अथवा रोग रोकथाम आदि विषयों वाले ही होते थे जो हमेशा संगत रहते थे। एक विज्ञापन का यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है :--

तिरंगे का चित्र आदि
तिरंगे को शत्-शत् नमन
26 जनवरी, 1998

किंतु उस समय के हमारे प्रयास असफल रहे और अब 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका को डी.ए.वी.पी. पैनल से हटा दिया गया था और उस समय हम मन मसोस कर रह गए।

इस प्रकार हमें दोनों तरफ से नुकसान था। डी.ए.वी.पी. ने विज्ञापन बंद कर दिए तो और संस्थाएँ भी विज्ञापन देने में अपनी असमर्थता जताने लगी। अब हम जब भी किसी और संस्था से पत्रिका के लिए विज्ञापन के लिए अनुरोध करते वे यही पूछते कि क्या पत्रिक डी.ए.वी.पी. के पेनल में है। जब हम उन्हें यह बताते कि पत्रिका पेनल पर नहीं है तो अपना विज्ञापन देने से मना कर देते।

अतः समय मिलते ही हमने यह मुद्दा पुनः सरकार के साथ उठाया। वर्ष 2009 में जैसे ही सूचना और प्रसारण मंत्री का पद श्रीमती अंबिका सोनी ने संभाला, उन्हें इस विषय पर ब्यौरेवार 18 जून, 2009 को अभ्यावेदन भेजा गया कि वह निजी स्तर पर इस विषय में रुचि ले कर फैसला करें। खेद का विषय यह रहा कि उनकी ओर से उस पत्र का उत्तर तक नहीं दिया गया।

इस बीच हमने डी.ए.वी.पी. को सूचना के अधिकार के अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यह मुद्दा उठाते हुए सूचना माँगी कि किन परिस्थितियों में त्रैमासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन देने बंद कि किए गए जबकि पहले सब पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए जा रहे थे। 23 अप्रैल, 2009 के हमारे पत्र का उत्तर 20 मई, 2009 को दिया गया जिसमें उन्होंने स्वीकार

किया कि 'महिला विधि भारती' हिंदी त्रैमासिक 1996 से 1998 को डी.ए.वी.पी. पैनल पर थी। उन्होंने यह भी कहा कि डी.ए.वी.पी. विज्ञापन पत्रिका को वित्तीय सहायता के लिए नहीं दिए जाते। त्रैमासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन बंद करने का फैसला सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिया गया है।

पहली अपील : इस फैसले के विरुद्ध डी.ए.वी.पी. में वरिष्ठ केंद्रीय सूचना अधिकारी को अपील की गई जिसका उत्तर भी मिला। इसमें भी वही बातें दोहरा दी गईं। अतः इसी विषय पर 4 दिसंबर, 2009 को दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की गई। इसकी सुनवाई श्रीमती अन्नपूर्णा दीक्षित, केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष 5-4-2010 को हुई। परिषद की महासचिव श्रीमती सन्तोष खन्ना ने उनके समक्ष परिपक्ष का पक्ष रखा।

अपने 7 अप्रैल, 2010 के फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग ने डी.ए.वी.पी. को आदेश दिया कि वह मामले से जुड़ी सभी फाइलें याची को दिखाएँ और इसके लिए डी.ए.वी. पी. का पत्र आया फाइलें देखने का। मैंने वहाँ पूरा दिन बैठ कर फाइलें देखीं किंतु फाइलों के उस हजूम में मुझे वह सूचना नहीं मिल सकी कि आख़िर सक्षम प्राधिकारियों ने किन कारणों से त्रैमासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन देने पर विराम लगाया। इसी बीच, पता चला कि निदेशालय के महानिदेशक के कक्ष में बड़े अधिकारियों की एक बैठक चल रही है। मुझे याद नहीं कि मुझे वहाँ कक्ष में बुलाया गया या मैंने स्वयं वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। ख़ैर, मैं महानिदेशक से मिली और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि मैंने केंद्रीय मंत्री महोदया को इस विषय पर अभ्यावेदन भेजा और उन्होंने बताया कि डी.ए.वी.पी. की विज्ञापन नीति की शीघ्र ही समीक्षा की जानी है और वह उस अभ्यावेदन को ध्यान में रखेंगे। इस अवसर पर मैंने उन्हें मंत्री महोदया को भेजे अभ्यावेदन की एक प्रति दे दी और उनकी ओर से मुझे एक आश्वासन-सा मिला और हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ सकरात्मक फैसला होगा परंतु अब तक कुछ नहीं बदला है।

हाल ही में फ़ोन पर डी.ए.वी.पी. के एक अधिकारी से पुनः बात हुई है और उन्होंने बताया कि सरकार विज्ञापन नीति की जल्दी ही समीक्षा करेगी और इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव को मिल कर इस बारे में बात करें और उन्हें लिख कर दें। उनके लिए एक पत्र तैयार कर लिया गया है और उनसे शीघ्र मिलने का कार्यक्रम है।

हाँ, इस बीच कई लोगों के फ़ोन आदि भी आए। उनका कहना था कि तो पता चला है कि इस मुद्दे पर आप लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। अगर इसमें सफलता मिलती है तो देश से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिकाओं को बहुत लाभ होगा।'' हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। इस मुद्दे पर प्रयास जारी रहेगा।

क्रमशः अगले अंक में...

❑

Bhawna Arora

Changing Trends of Divorce in India

The worldwide trend of divorce in modern times is a growing social problem which becomes aggravated and gaining ground after Independence particularly when the right of divorce as a part of normal value system has been granted through the Hindu Marriage Act, 1955. Then again the introduction of modern democratic and industrial social value, structure and consequent modernization processes have liberalized men and women from their traditional bonds and have paved the way for separation or dissolution of martial bonds.

Meaning of Divorce

The word "divorce" in English is derived from the Latin word *divortium* which again is derived from *dis* which means 'apart' and *vertere* which means 'to turn'. Divorce is the dissolution of the tie of marriage.[1] So, divorce is the turning away of partners from each other. It truly is a complete turn from the way of life the couple had so far.

Divorce in the proper and strict sense of the term means complete rupture of the martial bond; the person's divorced returning to their original state of being free to marry. Divorce is the word we use to mean the legal ending of a marriage. In the legal language, it might appear as a simple phenomenon, but in practical life its implications are massive. Divorce 'represents the end of the hopes that two people had for each other; it is certificate that their relationship failed.'[2]

In this paper, attempts have been made to assess the nature and emerging trend of familial disorganization in India after promulgation of the Hindu Marriage Act, 1955 and the Marriage laws (Amendment) Act, 1976. The phenomenon of divorce in the traditional family system was beyond the

Lecture Modern College of Law, Ghaziabad